न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 97/2020 (GCMS No. 2020/199)

प्रार्थीगण :–

1. रावताराम वल्द मोबताराम
2. माडूदेवी पत्नी रावताराम
   जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी, बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पूरा वल्द कालू
2. जेठा वल्द भारू
3. पमा वल्द टीकू
4. बाबू वल्द हुकमा जाति जाट निवासी बाण्ड
5. भेरा वल्द लूणा जाति मेगवाल निवासी बाण्ड
6. गुलाराम वल्द गोमदाराम
7. दमाराम वल्दगोमदाराम
8. राणाराम वल्द सिमरथाराम
9. सवाईराम वल्द सिमरथाराम जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी, बाण्ड
10. खमा वल्द पूनमा
11. मूला वल्द पूनमा
12. देवा वल्द पूनमा
13. चूना वल्द पूनमा
14. नेनू पत्नी भारू
15. जेठा वल्द भारू
16. केसा वल्द भारू
17. चम्पा पत्नी भंवरा
18. रामा वल्द भंवरा
19. जेठा वल्द टीकू
20. मगा वल्द टीकू
21. बाबू वल्द हुकमा
22. सोना वल्द मोडा
    जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी, बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री डालूराम चौधरी अधिवकता विप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:06:15 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश :: दिनांक :– 19.09.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 14 ता 16 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी उपस्थित हुए शेष विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमावन्दी संवत् 2074–2077 मौजा सियोलों की बेरी के खेत खसरा नम्बर 11/1, 11/6 रकबा क्रमशः 24–00, 8–04 बीघा एवं मौजा वाण्ड के खेत खसरा नम्बर 403/1 रकबा 26–12 बीघा का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमवन्दी करवाना चाहते हैं। वकील विप्रार्थीगण संख्या 14 ता 16 की बहस है कि विप्रार्थीगण संख्या 14 ता 16 द्वारा तरमीम दुरूस्ती का प्रकरण संख्या 141/2020 अनवान केसाराम बनाम तहसीलदार गुड़ामालानी पेश किया गया जिसमें न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.02.2022 द्वारा विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा सियोलों की बेरी के खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 22–16 बीघा की तरमीम दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये हैं जिसकी पालना में मौके पर राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती होना विचाराधीन है अतः तरमीम दुरूस्ती होने के पश्चात ही प्रार्थीगण के उक्त खसरान की भूमि की नेखम कार्यवाही की जावे। प्रकरण संख्या 171/2020 उनवान केसाराम बनाम तहसीलदार गुड़ामालानी में पारित निर्णय दिनांक 04.02.2022 की पालना सुनिश्चित की जाकर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि की राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सि[illegible] बेरी के खेत खसरा नम्बर 11/1, 11/6 रकबा क्रमशः 24–00, 8–[illegible] बीघा एवं मौजा वाण्ड के खेत खसरा नम्बर 403/1 रकबा 26–12 बीघा भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय के तरमीम दुरूस्ती के प्रकरण संख्या 171/2020 उनवान केसाराम बनाम तहसीलदार गुड़ामालानी में पारित निर्णय दिनांक 04.02.2022 की बाद पालना, सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:06:15 IST
Reason: SelfAttested

...खण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीनी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.9.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:06:15 IST
Reason: SelfAttested